फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस 6 मंजिल, सुप्रीम बिजनीस पार्क, सुप्रीम सिटी, पवाई, मुम्बई . रजिस्टर्ड ऑफिस – मेघा टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307 नया नं. 165 पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, ब्रांच ऑफिस – पहली एंव दूसरी मंजिल, केसर मॉल 115 ए, टोंक रोड, बापू नगर, एपेक्स मॉल के सामने, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुनील गिरवान — **प्रार्थी**

बनाम

1. असलम मोहम्मद सिलावट पुत्र श्री आजाद मोहम्मद सिलावट नि. आरएसईबी क्वार्टर के पास, राजसमंद, राजस्थान–313324 — **ऋणी / बंधककर्ता**
2. आजाद मोहम्मद सिलावट पुत्र श्री अकबर मोहम्मद सिलावट नि. आरएसईबी क्वार्टर के पास, राजसमंद, राजस्थान–313324
3. शाहिन मार्बल इन्टरप्राईजेज थ्रो प्रोपराईटर असलम मोहम्मद सिलावट, सनवार रोड़ सार्दू, सार्दूलखेडा, राजसमंद, राजस्थान–313324
4. अनीशा बेगम सिलावट पत्नी असलम मोहम्मद सिलावट नि. आरएसईबी क्वार्टर के पास, राजसमंद, राजसमंद अरबन कॉपरेटिव बैंक के सामने,राजसमंद – 313324
5. रईश मोहम्मद सिलावट पुत्र श्री आजाद मोहम्मद सिलावट नि. आरएसईबी क्वार्टर के पास, राजसमंद, राजसमंद अरबन कॉपरेटिव बैंक के सामने,राजसमंद – 313324
6. शहनाज मोहम्मद सिलावट पुत्र श्री आजाद मोहम्मद सिलावट नि. आरएसईबी क्वार्टर के पास, राजसमंद, राजसमंद अरबन कॉपरेटिव बैंक के सामने,राजसमंद – 313324

— **सहऋणी / गारंटर**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 75 / 2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.12.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर ने दिनांक 27.07.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 द्वारा प्रार्थी कंपनी से दिनांक 28.02.2019 को कुल 2,05,89,797 / – अक्षरे दो करोड़ पॉच लाख निव्यासी हजार सात सौ सतानवे रूपये का ऋण लिया गया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण के मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपति (1) किशोर नगर स्कीम, सिविल लाइन के पास, राजसमंद जिला राजसमन्द क्षेत्र 1566 वर्गफीट, जिसके पडौस पूर्व में – आर.एस.ई.बी. क्वार्टर एंव	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सिविल लाईन प्लॉट, पश्चिम – श्री बालचंद महाजन का मकान, उत्तर – नहर एवं सड़क दक्षिण – सिविल लाईन की भूमि एवं भवन, (2) अमर गेस्ट हाउस के पास, रा.रा. मार्ग सं. 8, राजनगर आराजी नं. 93 में स्थित 870 वर्गगज आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रोपर्टी जिसके पडौस पूर्व में – रा. राजमार्ग सं. 8, पश्चिम – श्री देवीलाल जैन की भूमि, उत्तर – अमर गेस्ट हाउस, दक्षिण – श्री रजाक मोहम्मद का प्लॉट की भूमि एवं भवन को प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया।

अप्रार्थीगण/ऋणी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और भुगतान में व्यक्तिक्रम व अतिदेय होने पर उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के जिम्मे उक्त ऋण खाते में बकाया राशि 2,40,02,333.71/– अक्षरे दो करोड चालिस लाख दो हजार तीन सौ तैतीस रूपये इक्तर पैसे दिनांक 18.01.2022 तक शेष देय है, दिनांक 18.01.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 21.01.2022 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी./स्पीड पोस्ट डाक नोटिस डाक के माध्यम से अप्रार्थीगणों को उनके ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण/ऋणियों/सहऋणियों द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी/सहऋणियों को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांक: 29.05.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण/ऋणी/सहऋणियों द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक/अचल संपति (1) किशोर नगर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

स्कीम, सिविल लाइन के पास, राजसमंद जिला राजसमन्द क्षेत्र 1566 वर्गफीट, जिसके पडौस पूर्व में – आर.एस.ई.बी. क्वार्टर एंव सिविल लाईन प्लॉट, पश्चिम – श्री बालचंद महाजन का मकान, उत्तर – नहर एवं सड़क दक्षिण – सिविल लाईन की भूमि एवं भवन, (2) अमर गेस्ट हाउस के पास, रा.रा. मार्ग सं. 8, राजनगर आराजी नं. 93 में स्थित 870 वर्गगज आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रोपर्टी जिसके पडौस पूर्व में – रा.राजमार्ग सं. 8, पश्चिम – श्री देवीलाल जैन की भूमि, उत्तर – अमर गेस्ट हाउस, दक्षिण – श्री रजाक मोहम्मद का प्लॉट की भूमि एवं भवन ।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)